तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भीकाराम पूनीया बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 111/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भीकाराम पूनीया पता 123, रूपनगर पावटा सी रोड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.19 में उसके द्वारा (1) बाप से फलोदी होकर गुजर रहे एन एच–15 पर जोधपुर जिले की सीमा में (बाप–फलोदी) स्थापित पेट्रोल पंपो की स्थापना से पूर्व कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जारी एन.ओ.सी. की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 666 दिनांक 03.06.19 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 22.07.19 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जाहिर किया कि लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 666 दिनांक 03.06.19 में इंगित किया गया है कि एन एच–65 पर स्थापित पेट्रोल पंपों की सूची तथा स्थापित पेट्रोल पंपो को इस कार्यालय द्वारा किस वर्ष एवं किस पत्रांक द्वारा एन ओ सी जारी की गई, उक्त जानकारी का उल्लेख मेरे प्रार्थना पत्र में नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई उक्त सूचना मेरे पास नहीं है एवं उसी सूचना प्राप्ती के लिए मैंने नियमानुसार आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत नहीं है क्योंकि बाप–रामदेवरा एन एच 15 की लम्बाई लगभग 100 किमी है एवं इस भू–भाग पर 10–12 पेट्रोल पम्प ही स्थित है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र में न तो स्थापित पेट्रोल पंपों का नाम का उल्लेख है, न स्थापित वर्ष/क्रमांक के बारे में बताया गया, ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना संभव नहीं हो सकता अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तथा इस स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	